कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 17.12.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 16.12.2024 को सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी स्थान चिन्हित कर अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियारों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही करने तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर चिन्हित नाकाबंदी स्थान पर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में कुल **323** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **07** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत् चालान कार्यवाही की गई, राजकोप ऐप पर कुल **130** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **55** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा ‘बी ’ भरा गया, **08** बंपर लगे वाहनों, **04** बिना नंबरी वाहनों व **06** काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी.एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,

आयुक्तालय जोधपुर